सीताराम (मृत)
विधिक प्रतिनिधियों द्वारा
बनाम
भरत सिंह (मृत)
विधिक प्रतिनिधियों द्वारा

सिविल अपील वाद संख्या- 8179/2016
सिविल अपील वाद संख्या- 8181/2016

माननीय न्यायमूर्ति ए0एम0 खानविलकर
माननीय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

1. ये अपील वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.07.2007 को पारित निर्णय के उद्भूत हुए हैं, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत निबंधित विनिमय विलेख दिनांक पक्षकार 02.03.1974 से उत्पन्न पक्षकारों के पारस्परिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था।

2. वाद के संक्षिप्त तथ्य है कि श्रीमती चंदो तथा सीताराम (अब मृत) जो यह ग्राम मथुरा बांगर तहसील व जिला मथुरा के प्लाट संख्या- 2902 पर अवस्थित 0.34 डिसमिल भूखंड के पट्टाधारी थे, उन्होंने निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2023 के द्वारा स्वर्गीय एन0डी0 चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या- 10 व 11के पिता) को विषयगत भूखंड बेचा था। प्रत्यर्थी संख्या- 1 से लेकर 8 तक के पिता/दादा स्वर्गीय केशोराम, जो प्लाट संख्या-2863 तथा 2888 के पट्टाधारी थे, ने सहमति के आधार पर प्लाट संख्या- 2902 के स्वामी स्व0 डी0एन0 चौधरी के साथ विनिमय विलेख निष्पादित कर दिनांक 02.03.1974 को भूखंडों की आपसी अदला-बदली कर ली। परिणाम स्वरूप विनिमय विलेख के अनुसार भूखंड संख्या- 2902 क्षेत्रफल 0.34 डिसमिल केशोराम के पक्ष में तथा भूखंड संख्या- 2863 तथा 2888 स्वर्गीय एन0डी0 चौधरी के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई।

3. स्वर्गीय केशोराम ने चकबंदी के समय उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9ए(2) के अंतर्गत कर राजस्व अधिलेखों में सुधार हेतु सहायक चकबंदी पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर विनिमय विलेख के आधार पर भूखंड संख्या- 2902 में अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना की।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि स्वर्गीय डी0एन0 चौधरी जिन्होंने भूखंड संख्या- 2902 को स्वर्गीय केशोराम के भूखंड संख्या- 2863 तथा 2888 से अदला-बदली की थी, ने भी चकबंदी कार्यवाही में आवेदन दाखिल किया तथा केशोराम के वाद का समर्थन किया जिन्होंने राजस्व अभिलेखों में स्वयं के नाम पर नामांतरण हेते आवेदन दिया था।

5. श्रीमती चांदो तथा सीताराम जो भूखंड संख्या- 2902 के वास्तविक पट्टाधारी थे तथा जिन्होंने निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 के द्वारा भूखंड को स्वर्गीय डी0एन0 चौधरी के पक्ष में बेच दिया था, के विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 की मान्यता पर आपत्ति उठाई। चकबंदी पदाधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के मूल्यांकन के उपरांत श्रीमती चांदो तथा सीताराम द्वारा निष्पादित भूखंड संख्या- 2902 से संबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 को मान्य तथा संयुक्त रूप से निष्पादित पाया। चकबंदी पदाधिकारी ने यह भी धारित किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत विनिमय हेतु सहायक समाहर्ता को अनुमति आवश्यक थी जो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मामलें में प्राप्त नहीं की गई थी तथा उक्त अनुमति के अभाव में वह चकबंदी की कार्यवाही में भूमिदार का दर्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। उक्त के विरूद्ध धारा-11 उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत दायर अपील की सुनवाई के दौरान यह देखा गया कि निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 को साक्ष्य की सम्यक् विवेचना के आधार पर सिद्ध नहीं किया गया था और यह भी कि विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 161 के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अभाव में शून्य था और परिणाम स्वरूप अपील वाद को दिनांक 18.01.1982 को खारिज कर दिया गया।

6. तत्पश्चात स्व0 एन0डी0 चौधरी और स्व0 केशोराम के द्वारा धारा- 48, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए पुनरीक्षण वाद को उप निदेशक, चकबंदी मथुरा द्वारा यद्यपि विक्रय पत्र की मान्यता की विवेचना किए बिना रद्द कर दिया गया, तथापित उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकार ने यह प्राक्कल्पित किया कि निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 वास्तविक तथा मान्य था।

7. पुनरीक्षण प्राधिकार के आदेष दिनांक 19.07.1984 को स्व0 केशोराम के द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर की गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों के आलोक में उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से कहा कि विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 उत्तर प्रदेश विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा- 166 तथा 167 के प्रावधानों के उल्लंघन में निष्पादित किया गया था तथा धारा-166 के प्रावधान के अनुसार सहायक समाहर्ता की अनुमति के बिना निष्पादित किया गया। विनिमय विलेख शून्य था तथा यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ही निबंधित विक्रय पत्र के रद्दीकरण हेतु आवेदन कर सकती है, जो कि वास्तविक पट्टाधारी श्रीमती चांदो तथा सीताराम जो अब अपने विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत हैं, जिन्होंने भूखंड संख्या 2902 को दिनांक 24.01.1973 को स्व0 एन0डी0 चौधरी को निबंधित विक्रय पत्र निष्पादित कर सहमति द्वारा बिक्री कर दिया था, जिसे प्रस्तुत अपीलवाद में चुनौती नहीं दी गई है।

8. विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि निबंधित विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 जिसे उत्तर प्रदेश विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 161 की प्रक्रिया अपनाए बिना निष्पादित किया गया था, तो इसका विधिक परिणाम क्या होगा।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उपलब्ध पर्यवेशी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चकबंदी प्राधिकारों के समवर्ती निष्कर्षों, जिनमें यह माना गया था कि स्व0 एन0डी0 चौधरी दिनांक 24.01.1973 को निष्पादित निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नामांतरण नहीं करवा पाए थे और चकबंदी कार्यवाही के आरंभ के समय उन्होंने उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9ए के अंतर्गत भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, में हस्तक्षेप कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। साथ ही विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 सक्षम प्राधिकार (सहायक समाहर्ता) की अनुमति के बिना निष्पादित किया गया था, जैसा किया जाना उत्तर प्रदेश जो विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 161 के तहत आवश्यक था और चूंकि उक्त विनिमय शून्य था अतः स्व0 केशोराम उक्त भूखंड पर नामांतरण का कोई अधिकार नहीं कर सकते, परिणामस्वरूप अपीलार्थियों का विषयांकित भूखंड संख्या- 2902 पर हक है, बावजूद इसके कि इसे श्रीमती चांदो तथा सीताराम (हितों में पूर्ववती) के द्वारा संयुक्त रूप से निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2023 के द्वारा बेच दिया गया था।

10. विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जो विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 166 सहपठित 167 के विधिक प्रभाव का मूल्यांकन करने में त्रुटि कर दी है तथा कार्यवाही एक बार शून्य घोषित कर दिए जाने के उपरांत अपीलार्थी भूखंड संख्या- 2902 पर अपना स्वत्व एवं दखल धारण करने के हकदार हैं।

11. दूसरी तरफ प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि एक बार जब भूखंड संख्या 2902 क्षेत्रफल 0.34 डिसमिल को अपीलार्थियों (हितों में पूर्ववती) द्वारा संयुक्त रूप से निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 के द्वारा एन0डी0 चौधरी के पक्ष में बेच दिया गया था। तब उन्होंने विषयांकित भूखंड पर अपना अधिकार एवं हित खो दिया है और एन0डी0 चौधरी द्वारा की गई किसी चूक की वजह से विषयगत भूखंड पर अपीलार्थियों के दावे को प्रबलता नहीं मिलेगी तथा विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि यदि सहायक समाहर्ता की अनुमति नहीं भी ली गई हो तो भी पक्षकारों के अधिकारों को छीना नहीं जा सकेगा, जो निबंधित विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 से प्राप्त हुए हैं और यह भी कि उत्तर प्रदेश जो विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की व्यवस्था के अनुसार 03.06.1981 के पूर्व के अंतरण शून्य नहीं बल्कि गांव सभा अथवा भूमिधारक के विकल्प पर परिसीमन अवधि के अंदर शून्यकरणीय है। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उच्च

न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं की गई जिसके लिए हस्तक्षेप करना आवष्यक है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके सहयोग से अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया है।

13. स्व0 एन0डी0 चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या-11 तथा 11 के पिता) और केशोराम (प्रत्यर्थी संख्या-1 से 8 के पिता द्वारा) के बीच दिनांक 02.03.2017 को भूमि की अदला-बदली निबंधित विलेख के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश जो विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 161, 166 तथा 167 (23 जून 1981 के संशोधन के पूर्व निम्नवत थी)

''**धारा- 161 विनिमय** (1). एक भूमिधर या सिरदार विनिमय कर सकता है:-

(अ). उसके द्वारा धारित कोई अन्य भूमिधर या सिरदार भूमि, या

(ब). कोई भी गांव, सभा या स्थानीय प्राधिकार भूमि, जिसमें धारा-117 के तहत भूमि निहित है। 1. बशर्ते कि सहायक समाहर्ता की अनुमति के बिना कोई विनिमय नहीं किया जाएगा, जो अनुमति अस्वीकार करेगा यदि बदले में दी गई भूमि के किराए के मूल्य के बीच का अंतर निम्न किराया मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

(1ए). जहां सहायक कलेटक्र विनिमय की अनुमति देता है, वह संबंधित वार्षिक रजिस्टरों को तदनुसार ठीक करने का भी आदेश देगा।

2. उपधारा-(1) के अनुसार किए गए आदान-प्रदान पर उन्हें बदले में इस प्रकार प्राप्त भूमि पर उतने ही अधिकार होंगे जितने उनके पास बदले में दी गई भूमि थी।

''**धारा- 166 इस अध्याय में वर्णित प्रावधान के उल्लंघन में किए गए हस्तांतरण शून्य होंगे।** इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी सिरदार या असामी द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई भी हस्तांतरण अमान्य होगा।''

वर्ष 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 30 द्वारा ''इस परिभाषा के उल्लंघन में ''शब्दों को ''प्रावधानों के उल्लंघन में'' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

''**धारा- 167 शून्य हस्तांतरण के परिणाम** (1). जहां किसी सिरदार या असामी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई हस्तांतरण किया है तो हस्तांतरण और प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार दखल प्राप्त कर सकता है, गांव, सभा या भूमिधारक के मुकदमे पर निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा। (2). उप धारा (1) के तहत निष्कासन की डिक्री सिरदार या असामी को पूरे भूखंड अथवा उसके एक हिस्से से बाहर निकालने का आदेश प्रदान कर सकते हैं।

14. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 338 का संदर्भ यहां आवश्यक है, जिसे निम्नवत पुनप्ररस्तुत किया जा रहा है।

''**338,** परिशिष्ट-III में निर्दिष्ट वाद आवेदन और अन्य कार्यवाहियां उनके लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शुरू की जाएंगी।

परिशिष्ट-III

(नियम 338)

क्रमांक	अधिनियम की धाराएं	वाद का विवरण आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां	कालबाधिता की अवधि	कालबाधिता के प्रारंभ होने की तिथि	समुचित न्यायालय शुल्क
19	163	भूमिदार के निष्कासन का वाद	छह वर्ष	अवैध हस्तांतरण की तिथि से	जैसा न्याय शुल्क अधिनियम-1970 में वर्णित है, वार्षिक रूप से
20	167	सिरदार या असामी के निष्कासन का वाद	छह वर्ष	यथोक्त	यथोक्त

15. 1982 के संशोधन अनियम द्वारा धारा-161,167 और 167 में दिनांक 03.06.1981 के प्रभाव से संशोधन किए गए, जो निम्नवत हैं:-

धारा- 161 विनिमय

(1). एक भूमिधर (''') विनिमय कर सकता है:-

(अ). उसके द्वारा धारित कोई अन्य भूमिधर (''') भूमि, या

(ब). कोई भी गांव, सभा या स्थानीय प्राधिकार भूमि, जिसमें धारा-117(''') के तहत भूमि निहित है।

धारा- 166 इस अध्याय में वर्णित प्रावधान के उल्लंघन में किए गए हस्तांतरण शून्य होंगे।

इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी सिरदार या असामी द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई भी हस्तांतरण अमान्य होगा।

धारा- 167 शून्य हस्तांतरण के परिणाम

(1). प्रत्येक हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित परिणाम प्रकट होने जो धारा-166 के अंतर्गत शून्य होंगे:-

अ). हस्तांतरण की विषय वस्तु राज्य सरकार में निहित होकर, हस्तांतरण की तिथि से, सभी अवभारों से मुक्त समझी जाएगी।

ब). हस्तांतरण की तिथि को भूमि पर मौजूद पेड़, फसलें और कुएं उक्त तिथि से प्रभावी होकर राज्य सरकार में निहित और सभी अवभारों से मुक्त समझें जाएंगे।

स). जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया गया होगा वह व्यक्ति हस्तांतरण की तिथि से भूखंड पर मौजूद अन्य चल संपत्ति या किसी भी अचल संपत्ति की सामग्री को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटा सकता है।

(2). जहां कोई भूमि या अन्य संपत्ति राज्य में निहित है, तो समाहर्ता के लिए ऐसी भूमि या अन्य सपंत्ति पर कब्जा करना और यह निर्देश देना कि ऐसी भूमि या संपत्ति पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति वहां से बेदखल कर दिया जाए, वैध होगा। ऐसे कब्जों या अनाधिकृत दखलदारों के निष्कासन हेतु समाहर्ता ऐसे बल का उपयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

16. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के संशोधन पूर्व प्रावधानों की व्यवस्था यह थी कि धारा-166 के प्रावधानों की व्यवस्था यह थी कि धारा-166 के प्रावधान के उल्लंघन में किया गया कोई हस्तांतरण, जिसमें धारा-161 भी शामिल है, को स्वतः शून्य नहीं होना था, अपितु वह शून्यकरणीय था और इसलिए धारा-167 के अंतर्गत किए गए किसी शून्य हस्तांतरण के मामले में गांव सभा या भूमिधारक भी कालबाधित की ओर से अवैध हस्तांतरण छह वर्षों के भीतर वाद दायर किए जाने की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में परिशिष्ट-3 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 338 में प्रावधान अंकित किए गए थे, किंतु उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 20/1952 के द्वारा दिनांक 03.06.1981 के प्रभाव से विधि में संषोधन हुआ है और अब इस अधिनियम के विरूद्ध जाकर किया गया कोई संशोधन धारा 166 के प्रावधानों के तहत शून्य होगा तथा परिणामस्वरूप संबंधित भूखंड विधि के प्रभाव से राज्य सरकार में निहित समझ ली जाएगी और सभी अवभारों से मुक्त होगी तथा संबंधित समाहर्ता को उक्त भूखंड पर बलपूर्वक दखल करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

17. प्रस्तुत मामले में विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 को निष्पादित किया गया था वह भी धारा-161 के अतर्गत सहायक समाहर्ता से अनुमति प्राप्त किए बिना, जिसके परिणामस्वरूप धारा-167 के तहत ग्राम सभा अथवा भूमिधारक को छह वर्ष की अवधि के भीतर बेदखली का वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त था, जो कि इस वाद में मार्च 1980 में समाप्त हो गया गया था, अधिनियम में सन् 1982 में लाए गए संशोधन के काफी पहले।

18. अधिनियम की व्यवस्था की सविस्तार व्याख्या से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम 1982 जो कि 03 जून 1981 से प्रभावी है, की इस वाद में कोई प्रयोज्यता नहीं है।

19. कार्यवाही सर्वप्रथम तब प्रारंभ हुई थी, जब सन् 1978 में स्व0 केशोराम द्वारा 1953 के अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर नामांतरण हेतु वाद दायर किया गया तथा उसमें स्व0 एन0डी0 चौधरी ने भी पक्षकार बनकर आवेदन दाखिल कर स्व0 केशोराम के वाद का समर्थन किया था।

20. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि चकबंदी पदाधिकारी ने स्व0 केशोराम के द्वारा भूमिदारी अधिकारों के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अधिनियम की धारा 1950 के अंतर्गत विनिमय विलेख के निष्पादन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से अनुमति नहीं ली गई थी और इसकी अनुपस्थिति में उनके पक्ष में भूमिदारी अधिकारों को प्रदान करने हेतु कार्यवाही

नहीं थी जा सकती थी। हालांकि बंदोबस्त पदाधिकारी ने निलंबित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 के संदर्भ में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है, लेकिन यह निष्कर्ष अभिलिखित करने के क्रम में अंकित की गई एक प्रत्यक्षतः तथ्यात्मक त्रुटि है।

21. इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की पूर्व संषोधित व्यवस्था के अंतर्गत धारा 161 का प्रावधान, जिसमें सहायक समाहर्ता से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक थी, का अननुपालन विधि की आवश्यकता थी और इसके उल्लंघन का प्रभाव अधिनियम की धारा 166 तथा 167 में अंतर्निहित है, किंतु इसके परिणामी प्रभाव किसी भी प्रकार से पक्षकारों को उनके परस्पर हितों व अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, जो श्रीमती चंदो तथा सीताराम के द्वारा स्व0 एन0डी0 चौधरी के पक्ष में भूखंड संख्या- 2902, क्षेत्रफल 0.34 डिसमिल से संबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 से प्रदत्त है।

22. यह सत्य है कि एक समय पर श्रीमती चांदो और सीताराम ने निबंधित विक्रय पत्र दिनाक 24.01.1973 के संदर्भ में 1953 की अधिनियम की धारा- 9ए(1) के अंतर्गत प्रारंभ हुई। चकबंदी कार्यवाही में संयुक्त रूप से आपत्ति उठाई थी, लेकिन यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 24.01.1973 का निबंधित विक्रय पत्र खरा और पक्षकारों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित था और यह कहीं भी बाद में प्रारंभ की गई अदला-बदला की कार्यवाही से संबंधित नहीं थी और यह तथा स्पष्ट हो गया कि जहां तक श्रीमती चांदों एवं सीताराम द्वारा की गई शिकायत का प्रश्न है, विक्रय पत्र के दिनांक 24.01.1973 को निबंधित एवं निष्पादित होते ही, स्वामित्व का अधिकार तथा दखल हस्तांतरित कर दिए गए। यह सत्य है कि स्व0 एन0डी0 चौधरी ने 1953 की अधिनियम के तहत भूमिदारी अधिकारों का दावा करते हुए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी किंतु ऐसा होना किसी भी प्रकार से उनके स्वामित्व के अधिकार को अमान्य घोषित नहीं करेगा जो विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 के निष्पादन से उद्भूत है और सत्य ही अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत कोई प्रतिषेध अथवा प्रतिबंध भी हमारे समक्ष दर्शाया नहीं गया है।

23. कालांतर में स्व0 एन0डी0 चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या-10 तथा 11 के पिता) तथा स्व0 केशोराम (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 तक के पिता/दादा) जो भूखंड संख्या 2683 तथा 2688 के पट्टाधारी थे, ने अपने भूखंडों की अदला-बदली निबंधित विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1979 के द्वारा थी, जो अविवा.दास्पद रूप से पूर्व संशोधित अधिनियम 1950 की धारा- 161 के उल्लंघन में था, जिसके द्वारा अभिधारित था कि बिना सहायक समाहर्ता की अनुमति के केाई अदला-बदली नहीं की जाएगी। निविर्वाद रूप से विधि के अधिदेष के तहत कोई परिकल्पित अनुमति नहीं चाही गई थी, बल्कि 1950 के अधिनियम की पूर्व संषोधित व्यवस्था के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंधन में किए गए विनिमय और इसके परिणाम अधिनियम की धारा-166 तथा 167 में अंतर्निहित है जो उस कृत्य को शून्य नहीं बल्कि शून्यकरणीय बनाते हैं और इसमें शून्य अंतरणों का परिणाम भी है, जो पहली बार सिरदार या असामी तक ही सीमित है न कि उनपर

जो भूमिदार के अधिकारों का दावा करते हैं। साथ ही साथ कोई हस्तांतरण जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन किया गया है, जिसमें धारा 161 के तहत सहायक समाहर्ता की अनुमति प्राप्त करना भी शामिल है, के संदर्भ में बेदखली की आज्ञाप्ति सिर्फ गांव सभा या भूमिधारक द्वारा वाद दाखिल किए जाने पर ही संभव है और अधिनियम की धारा 167(1) के अंतर्गत बेदखल की आज्ञाप्ति प्राप्त करने पर ही जिसके लिए काल बाधिता 1952 के उक्त अधिनियम के परिषिष्ट-2 नियम 338 के तहत उल्लिखित है जिसके हिसाब से अवैध अंतरण के छह वर्षों के भीतर बेदखली का वाद दायर किया जा सकता है।

24. प्रासंगिक मामले में पक्षकारों के बीच विनिमय विलेख-02 मार्च 1974 को निष्पादित हुआ था और कालबाधिता की अवधि मार्च 1980 में समाप्त हो गई थी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश के संषोधित प्रावधान के लागू होने के काफी पहले, जो 03.06.1981 के प्रभाव से लागू हुआ। अविवाद्य रूप से गांव सभा या भूमिधारक द्वारा 1950 के अधिनियम की धारा 167(1) के तहत कोई बेदखली का वाद दाखिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि दिनांक 02.03.1974 को निष्पादित विनिमय विलेख शून्य था, 1950 के अधिनियम के संषोधन पश्चात प्रावधानों के आलोक में यह तब भी विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 तक ही सीमित रहेगा, जिसे बिना सहायक समाहर्ता की अनुमति के प्राप्त किया गया था, जैसा करना धारा-161 के अंतर्गत आवश्यक था और ज्यादा से ज्यादा उस विनिमय विलेख के निष्पादन से पक्षकारों को उनका अधिकार नहीं मिलता और यह विनिमय के पक्षकारों (स्व0 केशोराम और स्व0 एन0डी0 चौधरी) के परस्पर रहा, साथ ही साथ विषयगत भूखंड जो एक समय मूल पट्टाधारी श्रीमती चांदो तथा सीताराम, जो प्रारंभ से ही भूखंड संख्या- 2902, क्षेत्रफल 0.34 डिसमिल का दावा निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1973 के आधार पर कर रहे हैं, जिसे खरा एवं मान्य माना गया है किसी विधिक व्यवधान के अधीन नहीं होगा और इससे पक्षकारों के हितों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस हस्तांतरण के लिए धारा- 161 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक नहीं था और कम से कम मूल पट्टाधारियों द्वारा भूखंड संख्या- 2902 क्षेत्रफल 0.34 डिसमिल पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता और उनकी व्यथा की स्व0 एन0डी0 चौधरी ने 1953 के अधिनियम के तहत भूमिदारी अधिकारों का दावा नहीं किया था, यह काफी है कि इसके विपरीत कोई प्रावधान हमारे समक्ष नहीं लाया गया है कि यदि पट्टाधारी ने 1953 के अधिनियम के तहत भूमिदारी अधिकारों का दावा करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है, तो भी जिसके पक्ष में विधिवत निबंधित विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है। उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

25. हमारा यह विचार है कि कम से कम श्रीमती चांदो और सीताराम, जिनके विधिक प्रतिनिधि पूरे मामले को लड़ रहे हैं, को विभिन्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित विनिमय विलेख दिनांक 02.03.1974 में त्रुटि दिखाकर लाभ प्राप्त करने की अधिस्थिति (सुने जाने का अधिकार)

नहीं प्राप्त है। यदि 1950 के अधिनियम की धारा-161 सहायक समाहर्ता से अनुमति नहीं ली जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप श्रीमती चांदो और सीताराम (मूल पट्टाधारी) के उत्तदाधिकारियों के पक्ष में अधिकार पुनर्जीवित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान अपीलार्थीगण के द्वारा कभी भी दिनांक 24.01.1973 को स्व0 एन0डी0 चौधरी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए कोई वाद नहीं लाया गया है, जो कि दूसरे प्रकार से 1950 के अधिनियम के अंतर्गत जांच की जाने वाली विषयवस्तु भी नहीं थी।

26. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन कि समवर्ती निष्कर्ष ने हस्तक्षेप और सहायक समहर्ता से अनुमति के अभाव में विनिमय विलेख अमान्य है और परिणाम स्वरूप वे भूखंड संख्या-2902 (0.34 डिसमील) जो मूलतः निबंधित विक्रय विलेख दिनांक 24.01.1973 के द्वारा स्व0 एन0डी0 चौधरी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, आधारहीन है चूंकि विचाराधीन विषय भूखंड के दो अलग-अलग लेनदेन दिखलाए गए हैं, जहां तक स्व0 एन0डी0 चौधरी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.01.1973 के निष्पादन के कारण उत्पन्न स्वत्व और हितों के हस्तांतरण का प्रष्न है, तो यह धारा 1950 के अधिनियम अथवा कोई विधि के उल्लंघन के आधार पर कभी भी सूक्ष्म परीक्षण की विषय वस्तु नहीं रहा है।

27. साथ ही जहां तक 02.03.1974 के विनिमय विलेख को निष्पादित किए जाने के क्रम में 1950 के अधिनियम की धारा 161 के तहत परिकल्पित अनिवार्य आवश्यकता के अननुपालन का प्रष्न है, पक्षकारों को 1950 के अधिनियम की धारा 166 सह पठित धारा-164 के तहत प्रदान किए गए शून्य लेनदेन के परिणामों को सहन करना पड़ता है, किंतु वह अपीलार्थियों को उनके अधिकारों की पुर्नस्थापना और विक्रय विलेख दिनांक 24.01.1973, जिसका निष्पादन स्व0 एन0डी0 चौधरी द्वारा सम्यक प्रतिफल लेने के उपरांत किया गया था, के रद्दीकरण को संबंद्ध में कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करता।

28. हमारे सुविचारित मंतव्य में उच्च न्यायालय के निर्णय में अंकित निष्कर्ष अभेद्य हैं और उक्त में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

29. परिणामस्वरूप अपीलवाद विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निष्पादित समझे जाएं।

-आभास वर्मा